न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 110 ⁄ 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 ⁄ 53 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

1. कौरचन्द
2. कृष्णलाल
3. सोहनलाल

पि. पुर्णचन्द जाति अरोडा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

—**वादीगण**

बनाम्

1. बलवीर
2. धर्मवीर

पि साहबराम जाति बिश्नोई सा जगतसिंह वाला तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

3. सरवती पत्नी सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 10 टी.के. तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
4. रोशनी पत्नी बृजलाल जाति विश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तह पदमपुर जिला श्री गंगानगर
5. सुभाष बिश्नोई
6. विजय कुमार
7. सुशील कुमार

पि कृपाराम जाति बिश्नोई सा पुरानी आबादी टैगोर स्कुल के पास वार्ड ना 20 श्री गंगानगर तह.व जिला श्री गंगानगर

8. ब्रिहमा पत्नी राम कुमार जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तह अबोहर जिला श्री फाजिल्का पंजाब
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया
10. कृष्णा बिश्नोई पत्नी लाजपतराय जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्दू —वकील वादीगण
2. श्री चरणजीत सिंह सिद्दू — वकिल प्रतिवादीगण 4,8
3. श्री अनुभव पुनीया — वकिल प्रति स 3
4. गुरमीत सिंह कलसी — वकील प्रति स 5 ता 7

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादीगण के नाम चक न 1 एम.जे.डी खाता स 16 ⁄ 12 खाता कृष्णलाल वगैरा ज.स 2070—73 मे साझा खाता मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त चक के उक्त खात की नकल जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है कि चक न 1 एम.जे.डी के खात स 16 ⁄ 12 खाता कृष्णलाल वगैरा ज.स 2070—73 वादीगण की जाति अग्रवाल दर्ज की गई है जो की सहबन से व गलती से दर्ज हो गई है जबकी वादीगण कि जाति अरोडा है जो बैयनामा दस्वातेज रेशी देवी बहक कौरचन्द वगैरा दिनांक [illegible]1—10—1993 के दस्तावेज मे भी दर्ज है अत उक्त गलती काबिल दुरूस्ती है इसलिए वादीगण की दुरूस्त की जाकर अरोडा दर्ज की जावे कि चक न 1 एम.जे.डी खाता स 16 ⁄ 12 खाता कृष्णलाल वगैरा की कुल आराजी घरू बंटवारा मे वादीगण के हिस्सा मे ब.हि.ब के हिस्सा से निम्ननुसार आराजी आई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी स 1 ता 3 कौरचन्द –कृष्णलाल –सोहनलाल पि पुर्णलाल का ब.हि.ब का हिस्सा
चक न 1 एम.जे.डी

197/177 14 4/1/0.215है,4/2/0.038है ,5/1/0.190है
5/2/0.038है 5/3/0.025है 6/1/0.228है
6/2/0.025है 7/0.253है =1.012है

180/177 15 1/1/0.215है ,1/2/0.038है
2/1/0.215है,2/2/0.038है
3/1/0.215है 3/2/0.038है
4/1/0.215है 4/2/0.038है
5/1/0.190है 5/2/0.038ह, 5/3/0.025है
6/1/0.228है 3/2/0.025है6/2/0.025है
7 ता 10 = 2.530है
कुल–3.542है आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काशत करता चले आ रहे है कब्जाकाश्त बाबत काई विवाद नही है लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कइै दफा कह की आप हमारा खाता दावा की दफा 3 अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहै लेकिन पिछले स्पताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये बस यही विनाय दावा है।कि प्रति स 1 ता 8 साझा खाते के सहहिस्सेदार रेशी पत्नी रामनायाण के वारिस है रेशी फोत हो गई है इसलिए इन्को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी स 9 को लैण्ड हौलडर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इन्के प्रति काई प्रत्यश अनुतोष नही चाहा गया है कि वाद वादी बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम व जमाबंदी दुरूस्ती का है जो कि 4रू की कार्ट फीस पर पेश है तथा समायत अदालत हाजा एव अन्दर मियाद है लिहाजा बाद तहकीकात वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे– घोषणा इस अमर की जाकर फरमाई जावे की चक न 1 एम.जे.डी के खाता स 16/12खाता कृष्णलाल वगैरा की कुल 3.820है आराजी मे से 3.542है आराजी के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है इस खाता की शेष आराजी रेशी पत्नी रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी संगरिया के हक व हिस्सा की है व वादीगण का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जावे कि चक न 1 एम. जे.डी खाता स 16/12 खाता कृष्णलाल वगैरा ज.स 2070–73 मे वादीगण की जाति दुरूस्त की जाकर अग्रवाल की जगह पर अरोडा दर्ज की जावे

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति.सं. 3 ता 8 , 10 ने जरिये अधिवक्ता अपना सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से ... स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 कौर चन्द पुत्र श्री पूर्णचन्द एवं वादी संख्या 3 सोहन मरेजा पुत्र पूर्णचन्द ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 1 एमजेडी इन्तकाल सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

102 दिनांक 22.08.1994 व चक 1 एमजेडी खाता संख्या 16/12 खाता कृष्णलाल वगैरा ज.सं. 2070–73 की प्रमाणित प्रति एवं फोटो प्रति बैयनामा रेशी बहक कौरचन्द, सोहनलाल, कृष्णलाल पेश की गई है। जो शामिल पत्रावली है। तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से कब्जा काश्त मय मृतक रेशी के वारिसान की जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./024/51 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं मृतक रेशी के वारिसान सहकाश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8, 10 के मध्य सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक वाद पत्र व तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

सत्यमेव जयते
WebCopy - Not Official

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 चक 1 एमजेडी खाता संख्या 16/12 खाता कृष्णलाल वगैरा एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं मृतक रेशी वारिसाान प्रश्नगत आराजी में सह–काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8, 10 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

चक 1 एमजेडी खाता संख्या 16/12 में कुल रकबा 3.820 है. मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :–

1. कृष्ण लाल, कौरचन्द, सोहनलाल पि.पूर्णचन्द जाति अरोड़ा सा. संगरिया

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
179/177	14	4/1/0.215 है, 4/2/0.038 है गै.मु. रास्ता ,5/1/0.190 है.5/2/0.038 है गै.मु.रास्ता 5/3/0.025 है गै.मु. खाला 6/1/0.228है 6/2/0.025है गै.मु. खाला 7/0.253है
180/177	15	1/1/0.215है 1/2/0.038है गै.मु.रास्ता 2/1/0.215है,2/2/0.038है गै.मु. रास्ता [illegible]/0.215है 3/2/0.038है गै.मु.रास्ता, 4/1/0.215है 4/2/0.038 [illegible] गै.मु.रास्ता, 5/1/0.190है 5/2/0.038है गै.मु. रास्ता, 5/[illegible]/0.025है गै.मु. खाला 6/1/0.228है 6/2/0.025है गै.मु. [illegible]ता 10/0.253 है.प्र.कुल 3.542 है नहरी मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

2. रेशी पत्नी रामनारायण जाति बिश्नोई सा. संगरिया के वारिसान

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
181/177	16	5/1/0.190 है.5/2/0.038 है गै.मु.रास्ता 5/3/0.025 है गै.मु. खाला
181/176	6	25/2/0.025 है. गै.मु. खाला कुल रकबा 0.278 है. नहरी मय गै.मु.

अतः तहसीलदार संगरिया रिपोर्ट में क्रम संख्या 2 रेशी पत्नी रामनारायण की कब्जाकाश्त है। इसलिए तहसीलदार संगरिया इनके वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उनके नाम इन्तकाल दर्ज करने तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांकः–प्रा.डिक्री/भू.अ./24/51 दिनांक 06.03.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....................मुब्लिक....................बाबत....................खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक....................को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 53/88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः– 110/2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कौरचन्द
2. कृष्णलाल
3. सोहनलाल

पि. पुर्णचन्द जाति अरोडा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. बलवीर
2. धर्मवीर

पि साहबराम जाति बिश्नोई सा जगतसिंह वाला तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

3. सरवती पत्नी सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 10 टी.के. तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
4. रोशनी पत्नी बृजलाल जाति विश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तह पदमपुर जिला श्री गंगानगर
5. सुभाष बिश्नोई
6. विजय कुमार
7. सुशील कुमार

पि कृपाराम जाति बिश्नोई सा पुरानी आबादी टैगोर स्कुल के पास वार्ड ना 20 श्री गंगानगर तह.व जिला श्री गंगानगर

8. ब्रिहमा पत्नी राम कुमार जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तह अबोहर जिला श्री फाजिल्का पंजाब
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया
10. कृष्णा बिश्नोई पत्नी लाजपतराय जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न 16 पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अनुभव पूनियां प्रतिवादी संख्या 3 व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 4,8 एव श्री गुरमीत सिह कलसी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7,10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः–

चक 1 एमजेडी खाता संख्या 16/12 में कुल रकबा 3.820 है. मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :–

1. कृष्ण लाल, कौरचन्द, सोहनलाल पि.पूर्णचन्द जाति अरोड़ा सा. संगरिया

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
179/177	14	4/1/0.215 है, 4/2/0.038 है गै.मु. रास्ता ,5/1/0.190 है.5/2/0.038 है गै.मु.रास्ता 5/3/0.025 है गै.मु. खाला 6/1/0.228है 6/2/0.025है गै.मु. खाला 7/0.253है
180/177	15	1/1/0.215है 1/2/0.038है गै.मु.रास्ता 2/1/0.215है,2/2/0.038है गै.मु. रास्ता [illegible]/0.215है 3/2/0.038है गै.मु.रास्ता, 4/1/0.215है 4/2/0.038है गै.मु.रास्ता, 5/1/0.190है 5/2/0.038है गै.मु. रास्ता 5/3/0.025है गै.मु. खाला 6/1/0.228है 6/2/0.025है गै.मु. खाला 7 ता 10/0.253 है.प्र.कुल 3.542 है नहरी मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

2. रेशी पत्नी रामनारायण जाति बिश्नोई सा. संगरिया के वारिसान

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
181/177	16	5/1/0.190 है.5/2/0.038 है गै.मु.रास्ता 5/3/0.025 है गै.मु. खाला
181/176	6	25/2/0.025 है. गै.मु. खाला कुल रकबा 0.278 है. नहरी मय गै.मु.

अतः तहसीलदार संगरिया रिपोर्ट में क्रम संख्या 2 रेशी पत्नी रामनारायण की कब्जाकाश्त है। इसलिए तहसीलदार संगरिया इनके वारिसानों की नियमानुसार जांच कर उनके नाम इन्तकाल दर्ज करने तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांकः—प्रा.डिक्री/भू.अ./24/51 दिनांक 06.03.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....................मुब्लिक.....................बाबत.....................खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....................को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested